रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235125
CG-DL-E-13042022-235125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944
No. 200]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 12 अप्रैल, 2022

सं. आई. एफ. एस.सी.ए./2022-23/जी.एन./023.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 14 दिसम्बर, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई तारीख 14 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5199(अ) के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन वित्तीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट करता है:

(क) चलायमान (मोबाइल) उपस्कर की ऐसा कोई मद, चाहे वह शक्तिचालित है अथवा नहीं या स्वचालित, सप्रयोजन बनाई गई है और जिसका प्रयोग किसी विमानपत्तन के रैंप क्षेत्र पर वायुयान की ग्राउंड हैंडलिंग, सर्विसिंग या स्थलीय मरम्मत के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ग्राउंड सहायता उपस्कर की ऐसी कोई मद भी है, जिसे आई.ए.टी.ए. द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है; और

(ख) रैंप हैंडलिंग के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिसके अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में तारीख 30 अक्तूबर, 2018 को प्रकाशित भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक ए.ए.आई./ओ.पी.एस./707/जी.एच.आर.-2018, तारीख 26 अक्तूबर, 2018 की अनुसूची-I में यथा-विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप भी हैं, प्रयुक्त उपस्कर।

स्पष्टीकरण : ऊपर उल्लिखित उपस्कर को सामूहिक रूप से "वायुयान ग्राउंड सहायता उपस्कर" (एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट) कहा जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./27/2022-23]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 12th April, 2022

No. IFSCA/2022-23/GN/023-In exercise of the powers conferred by section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) (hereinafter referred as the "said Act") read with notification number S.O. 5199(E) dated 14th December, 2021 issued by Ministry of Finance, Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th December, 2021, the Authority hereby specifies the following as a financial product under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the said Act:

(a) any piece of mobile equipment, whether or not powered or self-propelled, purpose designed built and used for ground handling, servicing or field maintenance of aircraft on the ramp area of an airport and includes any piece of ground support equipment specified as such by IATA from time to time; and

(b) equipment used for providing services necessary for ramp handling including activities as specified in Schedule –I of the Notification number F. No. AAI/OPS/707/GHR-2018 dated 26th October, 2018 issued by Airports Authority of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 30th October, 2018, as amended from time to time.

Explanation: The aforementioned equipment shall collectively be referred to as the "Aircraft Ground Support Equipment".

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./27/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.13 22:02:37 +05'30'